बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 85/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – आर्य कन्या प्रारम्भिक विद्यालय, नया टोला, पटना।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – लेखा वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन (विकास) विभाग, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदा0 के नाम,पदनाम एवं कार्यकाल – 1. श्री शशि भूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक
दि0 1.04.06 से 30.6.06 तक पूर्वा0
2. श्री राम सागर प्रसाद सिंह,जिला शिक्षा अधीक्षक
दि0 30.6.06 अप0 से दि0 07.07.08 पूर्वा0
3. श्री शशि भूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक
दि0 07.07.08 अप0 से दि0 31.03.11 तक।

(ड़) अंकेक्षणावधि में लेखा प्रभारियों के नाम ,पदनाम एवं कार्यकाल – 1. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रधानाध्यापिका
दिनांक 01.04.2006 से अद्यतन

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/कर्म0 के नाम,पदनाम – श्रीमती सरिता कुमारी, प्रधानाध्यापिका

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1. श्री अविनाश कुमार ,व0 अं0– 2
2. श्री अजय कुमार , व0 अं0–2

(ग) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 24.12.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 05.01.12

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 6 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

1. अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य अंकेक्षण

2. वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एंव तिथि – 3286/15.9.1960

3. कार्यालय का कार्यक्षेत्र –

इस विद्यालय की स्थापना बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा, मुनीश्वरानन्द भवन, नया टोला, पटना, पंजीयन संख्या 19 दिनांक 8.5.1926 द्वारा वर्ष 1960 में दिया गया था। इस विद्यालय का उद्वेश्य प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु था। यह विद्यालय धार्मिक आधार पर अल्प संख्यक के तौर पर स्वीकृत था। इस विद्यालय के शिक्षकों को वेतनादि मद में राशि सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप प्राप्त होता है। इस प्रकार वेतनादि मद में प्राप्त अनुदान राशि का अंकेक्षण तथा निर्गत अनुदान राशि का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पटना के लेखा– अभिलेखों से किया गया।

इस विद्यालय का संचालन प्रशासन, अनुरक्षण शिक्षकों की नियुक्ति, बालिका पोशाक योजना, एवं मध्याह्न योजना आदि का क्रियान्वयन तथा नियंत्रण बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा नियुक्त प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है।

4. वित्तीय स्त्रोत :– आवंटन/अनुदान– अनुदान। अनुदान विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है।

5. महालेखाकार का पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति :–

अनुपालन प्रेषित किया गया है या नही– नही। बार– बार अनुरोध करने पर भी निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नही दिया गया। फलतः अनुपालन से अंकेक्षण दल अनभिज्ञ रहा।

6. वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– शून्य

(3) वित्तीय समीक्षा :–

1. आंवटन की स्थिति में :– क्या आंवटन से अधिक निकासी की गई है – नही।
2. अनुदान की स्थिति में :– क्या अनुदान से अधिक व्यय की गई है – नही।
3. प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था या नही – नही।
4. रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नगद राशि के भौतिक सत्यापन की स्थिति :– आवश्यकता नही पड़ी। क्योंकि रोकड़ पुस्त के संवरण शेष शून्य था।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत /कार्यरत/रिक्त बलों का विवरण :–

पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अवधि/कम
प्रधानाध्यापिका	1	1	–
सहा0 शिक्षिका	11	07	04

चार सहायक शिक्षिका का पद रिक्त पाया गया।

भाग –2

(5) वेतन में मँहगाई भत्ता विलय के कारण अधिक भुगतान राशि रू0 110823 वसूली योग्य :–

शिक्षकों के वेतन मद में भुगतीत राशि के अंकेक्षण में स्पष्ट हुआ कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा वित्त विभाग के ज्ञापांक 1773 वि0 (2) दिनांक 02.04.05 के निदेश के आलोक में दि0 1.1.05 को मूल वेतन का 50 प्रतिशत महँगाई भत्ता का भाग जोड़ कर बढ़े हुए मूल वेतन पर अनुमान्य दर से महँगाई भत्ता एवं मकान भाड़ा भत्ता की राशि प्राप्त किया गया था। विदित हो कि यह निदेश सरकारी सेवकों के लिए लागू था। स्पष्ट है कि यह लाभ गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों पर लागु नही होता है। इन्ही कारणों से जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला पटना के पत्रांक 7952 दिनांक 17.09.07 द्वारा इस प्रकार के विलय पर रोक लगा दिया गया था। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा विलय पर रोक लगाये जाने के पूर्व अवधि में शिक्षकों द्वारा 50 प्रतिशत महँगाई भत्ता मूल वेतन में विलय कर उक्त राशि पर अनुमान्य दर से मँहगाई भत्ता तथा मकान भाड़ा भत्ता प्राप्त कर लिया गया था। फलतः मँहगार्ग भत्ता एवं मकान भाड़ा भत्ता मद में राशि रू0 110823.00 विभिन्न शिक्षकों को अधिक भुगतान कर दिया गया था। इस अधिलाभ की वसूली हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय स्तर से

यथोचित कदम नही उठाया गया था। इस संदर्भ में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि ''कारवाई उच्च पदाधिकारियों के निदेशनुसार किया जायेगा''। अनुपालन संतोषप्रद नही होता है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि परिशिष्ट 'ग' पर अंकित विवरणी के अनुसार अधिक भुगतान की राशि रू0 110823 संगत व्यक्ति से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाये तथा की गयी कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाये।

(6) वेतनादि मद में भुगतीत राशि रू0 5238954.00 आपत्तिन्तर्गत :–

वेतनादि मद में भुगतान राशि के जाँच में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन वर्ष में वेतनादि मद में राशि रू0 5238954 का भुगतान विभिन्न शिक्षको ने प्राप्त किया था। परन्तु उक्त व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी को नही भेजा गया था। यह स्थिति बिहार वित्त नियमावली के नियम 340 से 346 के प्रतिकूल है। विशेषतः नियम 342 में स्पष्ट प्रावधान है कि ''स्वीकृत अनुदानो'' अंशदानों एवं विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्त्ति हेतु विशिष्ट सेवाओं एवं निर्माणों हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अनुदान देने वाला प्राधिकार महालेखाकार को भेजने की व्यवस्था करेगें या करायेगें। स्पष्ट है कि अबतक इस नियम का अनुपालन विभागीय स्तर से भी नही किया जा रहा है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने योग्य राशि का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'छ' पर संलग्न हैं। इस संदर्भ में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर भेजा जा रहा है। ''परन्तु अंकेक्षण आपत्ति तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

अतः वेतनादि मद में कुल भुगतान राशि रू0 5238954 आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है। भविष्य में ससमय उपयेागिता प्रमाण पत्र भेजा जाना सुनिशिचित किया जाये तथा लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी को प्रेषित दिये जाने की दिशा में उठाये गये कदमों के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

भाग–3 (सुझाावात्मक)

(7) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :–

(1) निरीक्षण संचिका संधारित किया जाये :–

वित्त विभाग के ज्ञापांक ए0 आर0 06/19/53–23 वि0 दिनांक 01.'06.1953 के निदेशानुसार प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिष्ठिनों की एक पंजी संधारित किये जाने का प्रावधान है। इसका अनुपालन दृढ़ता से किया जाये।

(2) रोकड़ वही की त्रुटियाँ :–

रोकड़ बही के प्रत्येक माह के अंत में संवरण शेष की विस्तृत विवरणी तैयार कर अवश्य अंकित किया जाये तथा बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 (iii) के अनुसार रोकड़ बही के योग एवं संतुलन का जाँच प्रमाण पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

(3) अनुदान प्राप्ति की अलग आगत पंजी संधारित किया जाये :–

विद्यालय द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त चेकों के लिए एक अलग पंजी संधारित किया जाये। जिसमें अनुदान प्राप्ति का स्त्रोत, अनुदान का माध्यम (चेक एंव ड्राफ्ट) का विवरण, प्राप्ति तिथि, अनुदान राशि का उल्लेख अवश्य किया जाये। इस पंजी का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाये।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम</u>

(1) आलोक कुमार गुप्ता वं0 अं0 –2

(2)

" NISHU"

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1(ट) से संबंधित

प्रस्तुत एंव अप्रस्तुत अभिलेख

(क) प्रस्तुत अभिलेख :–

1. रोकड़ पुस्त (वेतनादि मद) वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
2. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
3. भविष्य निधि कटौती पंजी वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
4. अनुदान चेकों की छाया प्रति वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
5. वेतन पासबुक (शिक्षक) वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
6. शिक्षक उपस्थिति पंजी वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
7. छात्रोपस्थिति पंजी वर्ष 2006–07 से 2010 तक
8. भविष्य निधि बचत खाता
9. प्री–पोजीशन स्टेटमेंट
10. नियुक्ति अनुमोदन संचिका
11. निजी संचिका (शिक्षक)
12. बकाया वेतन स्वीकृतादेश संचिका

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :–

1. विद्यालय प्रस्वीकृति पत्र (मूल)
2. स्वीकृत पदों का आदेश पत्र (मूल)
3. धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में स्वीकृति पत्र
4. शिक्षकों का वरीयता सूची
5. सेवा पुस्त
6. प्रोन्नति, सेवा निवृति से संबंधित संचिका

परिशिष्ट 'ख'

आय एवं व्यय विवरणी

क्र0 सं0	वर्ष	मद	प्राप्त अनुदान	व्यय	आधिव्यय	बचत	प्राप्ति विवरण
1	2006–07	वेतन भविष्य निधि	1092437 16908	1092437 16908	–	–	चेक सं0 162326 दि0 5.4.07 वेतन 1092437.00 चेक सं0 162344 दि0 27.04.07 भ0 नि0 16908.00
2	2007–08	वेतन भविष्य निधि	724246 13440	724246 13440	–	–	चेक सं0 192568 दि0 18.3.08 वेतन रू0 724246.00 चेक सं0 192569 दि0 18.3.08 भ0 नि0 रू0 13440.00
3	2008–09	वेतन भविष्य निधि	787411 23992	787411 23992	–	–	चेक सं0 192600 दि0 9.3.09 वेतन रू0 787411.00 चेक सं0 092881 दि0 09.03.09 भ0 नि0 रू0 23992.00
4	2009–10	वेतन भविष्य निधि	1102463 102796	1102463 102796	–	–	चेक सं0 329232 दि0 24.3.10 वेतन रू0 1102463.00 चेक सं0 330997 दि0 24.3.10 भ0 नि0 रू0 102796.00
5	2010–11	वेतन भविष्य निधि	1257174 118087	1257174 118087	–	–	चेक सं0 437054 दि0 17.3.11 वेतन रू0 1257174.00 चेक सं0 437132 दि0 25.3.11 भ0 नि0 रू0 118087.00

परिशिष्ट 'घ'

कंडिका '6' से सम्बन्धित

मद	प्राप्त अनुदान राशि जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना है।					कुल राशि	अभि0
	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11		
वेतन भविष्य निधि	1092437 16908	724246 13440	787411 23992	1102463 102796	1257174 118087	4963731 275223	
	1109345	737686	811403	1205259	1375261	5238954	

परिशिष्ट 'ग'

कंडिका '5' से सम्बन्धित

क्र0 सं0	शिक्षिका का नाम	माह	भुगतीत राशि					भुगतान योग्य राशि				अन्तर राशि				
			मूल वेतन	मंह0 वेतन 50 प्रति0	मं0 भत्ता 24प्रति0 / 29 प्रति0	मकान भत्ता	कुल	मूल वेतन	मंह0 भत्ता 74प्रति0 / 79 प्रति0	मकान भत्ता	कुल	मंह0 भत्ता	मकाना भत्ता	माह का अन्तर xमाह	अन्तर राशि वसूली योग्य	
1	श्रीमती सुशीला देवी स0 शि0	मार्च 06–अप्रील 06	6650	3325	2394	1496	13865	6650	4921	998	12569	798	498	1296x2	2592	15716
		मई 06–जून 06	6800	3400	2448	1530	14178	6800	5032	1020	12852	816	510	1326x2	2652	
		जुलाई 06–जून 07	6800	3400	2958	1530	14688	6800	5372	1020	13192	986	510	1496x7	10472	
2	श्रीमती आशा कुमारी सिन्हा स0 शि0	मार्च –जून 06	6350	3175	2286	1429	13240	6350	4699	952	12001	762	477	1239x4	4956	148387
		जुलाई अक्टूबर 06	6350	3175	2762	1429	13716	6350	5017	952	12319	920	477	1397x4	5588	
		नवम्बर 06 जनवरी 07	6500	3250	2828	1463	14041	6500	5135	975	12610	943	488	1431x3	4293	
3	श्रीमती समीना कुमारी स0 शि0	मार्च 06 जून 06	6200	3100	2232	1395	12927	6200	4588	930	11718	744	465	1209x4	4836	14384
		जुलाई 06 जून 07	6200	3100	2697	1395	13392	6200	4898	930	12028	899	465	1364x7	9548	
4	श्रीमती सुनीता जयसवाल स0 शि0	मार्च 06 अप्रील	5250	2625	1890	1181	10946	5250	3885	787	9922	630	394	1024x2	2048	12425
		मई 06 जून 06	5375	2688	1935	1209	11207	5375	3978	806	10159	645	403	1048x2	2096	
		जुलाई 06 जून 07	5375	2688	2338	1209	11610	5375	4246	806	10427	780	403	1183x7	8281	
5	श्री दयमन्ती देवी स0 शि0	मार्च 06 जून 06 जुलाई 06	7100	3550	2556	1598	14804	7100	5254	1065	13419	852	533	1385x4 1563x1	5540	16679
		अगस्त 06	7100 7250	3550 3625	3089 3154	1598 1631	15337 15660	7100 7250	5609 5727	1065 1087	13774 14064	1030 1052	533 544	1596x6	1563 9576	

		जून 07														
6	श्रीमती सरिता कुमारी स0 शि0	मार्च 06 जून 06 जुलाई 06 फरवरी 07	4750 4875	2375 2438	1710 2121	1069 1097	9904 10531	4750 4875	3515 3851	712 731	8977 9457	570 708	357 366	927x4 1074x8	3708 8592	12300
7	बैजन्ती कुमारी स0 शि0	मार्च 06 अप्रील 06 मई 06 जून 06 जुलाई 06 फरवरी 07	4750 4875 4875	2375 2438 2438	1710 1755 2121	1069 1097 1097	9904 10165 10531	4750 4875 4875	3515 3607 3851	712 731 731	8977 9213 3457	570 586 708	357 366 366	927x2 952x2 1074x8	1854 1904 8592	12350
8	रीना कुमारी स0 शि0	मार्च 06 जून 06 जुलाई 06 दिसम्बर 06 जून 07 फरवरी 07	4750 4750 4875	2375 2375 2438	1710 2066 2121	1069 1069 1097	9904 10260 10531	4750 4750 4875	3515 3752 3551	712 712 731	8977 9214 9457	570 689 708	357 357 366	927x4 1046x6 1074x2	3708 6276 2148	12132

कुल योग– 111213.00